इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 193] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 28 अप्रैल 2016—वैशाख 8, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्र. 6604-133-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 अप्रैल 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १९ सन् २०१६

मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, २०१६

[दिनांक २७ अप्रैल, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २८ अप्रैल, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, २०१६ है.

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन.

२. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे कॉलम में वर्णित की गई सीमा तक एतद्द्वारा निरसन किया जाता है.

व्यावृत्ति.

३. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से, किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है, पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;

और यह अधिनियम पूर्व में ही की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर, या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर या किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग पर या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन पर, या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा;

और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर, या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्द्वारा, निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है ;

और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा.

अनुसूची
(धारा २ देखिए)

निरसन

वर्ष (१)	क्रमांक (२)	संक्षिप्त नाम (३)	निरसन की सीमा (४)
१८४५	१	द सेल्स ऑफ लैण्ड फॉर रेवेन्यू एरियर्स एक्ट, १८४५	संपूर्ण
१८५०	२६	द इम्प्रूवमेंट्स इन टाउन्स एक्ट, १८५०	संपूर्ण
१८५३	६	द रेन्ट रिकवरी एक्ट, १८५३	संपूर्ण
१८६१	१६	द स्टेज केरीएजेज एक्ट, १८६१	संपूर्ण
१८६३	१९	द पार्टीशन ऑफ रेवेन्यू पेइंग एस्टेट्स एक्ट, १८६३	संपूर्ण
१८७९	१४	द हेकनी केरिएज एक्ट, १८७९	संपूर्ण
१८८१	१८	द सेन्ट्रल प्राविन्सेस लैन्ड रेवेन्यू एक्ट, १८८१	संपूर्ण
१८८३	१९	द लैण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट, १८८३	संपूर्ण
१८९८	११	द सेन्ट्रल प्रॉविन्सेस टेनेंसी एक्ट, १८९८	संपूर्ण
१९०८	१३	द सेन्ट्रल प्रॉविन्सेस फायनेंशियल कमिश्नर्स एक्ट, १९०८	संपूर्ण
१९१४	९	द लोकल अथोरिटीज लोन्स एक्ट, १९१४	संपूर्ण
१९१९	१	द लोकल अथोरिटीज पेन्शन्स एण्ड ग्रेच्युटीज एक्ट, १९१९	संपूर्ण

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2016

क्र. 6604-133-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, 2016 (क्रमांक 19 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 19 OF 2016.

THE MADHYA PRADESH NIRSAN ADHINIYAM, 2016

[Received the assent of the Governor on the 27th April, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 28th April, 2016].

An Act to repeal certain enactments.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-seventh year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nirsan Adhiniyam, 2016.

Repeal of certain enactments.

2. The enactments specified in the Schedule are hereby repealed to the extent mentioned in the fourth column thereof.

Savings.

3. The repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied incorporated or referred to;

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered or any right title obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof or any release or discharge of or from any debt penalty obligation liability claim or demand or any indemnity already granted or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law or established jurisdiction form or course of pleading practice or procedure or existing usage, custom, privilege, restriction exemption office or appointment notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by in or from any enactment hereby repealed;

nor shall the repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction office custom liability right title privilege restriction exemption usage practice procedure or other matter or thing not now existing or in force :—

THE SCHEDULE
(See Section 2)

REPEALS

Year (1)	No. (2)	Short title (3)	Extent of repeal (4)
1845	1	The Sales of Land for Revenue Arrears Act, 1845	The whole
1850	26	The Improvements in Towns Act, 1850	The whole
1853	6	The Rent Recovery Act, 1853	The whole
1861	16	The Stage-Carriages Act, 1861	The whole
1863	19	The Partition of Revenue-paying Estates Act, 1863	The whole
1879	14	The Hackney Carriage Act, 1879	The whole
1881	18	The Central Provinces Land-Revenue Act, 1881	The whole
1883	19	The Land Improvement Loans Act, 1883	The whole
1898	11	The Central Provinces Tenancy Act, 1898	The whole
1908	13	The Central Provinces Financial Commissioner's Act, 1908	The whole
1914	9	The Local Authorities Loans Act, 1914	The whole
1919	1	The Local Authorities Pensions and Gratuities Act, 1919	The whole

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.